प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 09.02.2026

#Mission Sakti Phase 5.0

इटावा पुलिस की महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि।

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 09.02.2026 को 01 अभियोगों में सजा करायी गयी है।

1. थाना बलरई

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं संबंधी अपराधों (चिह्नित अभियोगों)मे दोषियों को सजा दिलाने हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम मे इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय इटावा द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 1000/-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना बलरई पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0 /स्पे0 जज (पोक्सो एक्ट) इटावा द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 1000/-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

थाना बलरई क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ घर में घुसकर छेडखानी करना व वादिनी के परिवार को गाली गलोज करना व जान से मारने की धमकी देने में के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिंनाक 11.03.2023 को दी गयी लिखित सूचना के आधार पर थाना बलरई पर **मु0अ0सं0-17/2023 धारा 354/452/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो भादवि में पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0श्री राजीव कुमार के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना बलरई पुलिस टीम, पैरोकार का0 थान सिह व मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री दशरथ सिहं चौहान द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 09.02.2026 को अन्तर्गत **धारा 354/452/504/506 भादवि मा0 न्याया0 /स्पे0 जज (पोक्सो एक्ट) इटावा द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 1000/-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

उज्जवल उर्फ लुक्का पुत्र माखन सिंह निवासी ग्राम कुकावली थाना बलरई जनपद इटावा